eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महत्व एवं चुनौतियाँ

[1]डॉ0 सुनीत कुमार सिंह

[1]एसोसिएट प्रोफेसर –अर्थशास्त्र विभाग, रामनगर पी0जी0 कालेज, रामनगर, बाराबंकी (उ0प्र0)

Received: 12 Jan 2020, Accepted: 19 Jan 2020, Published on line: 30 Jan 2020

Abstract

आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 21वीं सदी की पहली शिक्षानीति है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। 20 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा इसे मंजूरी मिली। बदलते वैश्विक परिदृश्य में मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए इसे लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने, सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) का 6% व्यय करने का लक्ष्य मानव संसाधन प्रबन्धन, मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय तथा पाँचवी कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए ''भारतीय उच्च शिक्षा परिषद'' का गठन करने एवं कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने का प्रावधान है। उच्च शिक्षण संस्थानों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देने की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बदलाव सराहनीय हैं लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सरकार को बुनियादी अवसंरचना को बहुत अधिक मजबूत करना होगा।

महत्वपूर्ण शब्द – शिक्षा, राष्ट्रीय, नीति, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, गुणवत्ता, भाषा।

Introduction

नवीन शिक्षा नीति–2020 भारत की शिक्षा नीति में नया परिवर्तन है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया। वर्ष 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें :

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER) को 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) नई शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

(3) 'मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।

(4) पाँचवी तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है।

(5) देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, ''भारतीय उच्च शिक्षा परिषद'' (Higher Education Commission of India (HECI)" नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। जैसे – शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने, भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान –

- 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आँगनबाड़ी/बालवाटिका/ प्री–स्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education - ECCE) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–1 और 2 में शिक्षा प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- NEP में MHRD द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना होगी।

भाषायी विविधता को संरक्षण

- NEP 2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्र/छात्राओं के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सम्बन्धी सुधार

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था की जाएगी।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training - NCERT) द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार किया जाएगा।
- छात्र/छात्राओं के समग्र विकास के लिए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जायेंगे। भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जायेगा।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केन्द्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमता' (Artificial Intelligenec - AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग होगा।

उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान

- NEP-2020 के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018–19) से बढ़कर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP-2020 के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एण्ड एकियट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके अन्तर्गत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र/छात्रा कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पश्चात् एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष पश्चात स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा। जिससे अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत एम0फिल0 (M.Phil) को समाप्त कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ

Challenges in National Education Policy - 2020

देश में 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति आने वाली पीढ़ी को हमारे नैतिक मूल्यों, प्राचीन भारतीय विद्याओं, हमारी मातृभाषा के साथ तो जोड़ेगी ही, साथ में

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का हमारा सपना भी साकार करेगी। हमारे गौरवशली इतिहास को पुनर्जीवित करेगी।

देश की नई शिक्षा नीति सबको अच्छी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास पर आधारित शिक्षा, रोजगार मुहैया कराने वाली शिक्षा है।

समानता के साथ सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यही इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। देश में लगभग 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति बदलेगी इसी के साथ शिक्षा, छात्रों, शिक्षकों व पढ़ाई से सम्बन्धित नियम भी बदलने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज और आने वाले समय में विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। जिसकी सराहना की जा रही है लेकिन इस शिक्षा नीति को ढंग से लागू करना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

कई वर्षों से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था को अचानक से बदल देना और लोगों द्वारा उसे स्वीकार कर ईमानदारी से उस पर अमल करना, यह सरकार और लोगों, दोनों के लिए काफी चुनौती भरा होगा।

1. **शिक्षकों की मानसिकता में परिवर्तन करना कठिन चुनौती होगी** –

किसी देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तो कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक ही होते हैं और अपने देश में ऐसे शिक्षकों की भारी कमी है। देश के कई प्रदेशों में प्राइमरी स्कूल आज भी एक या दो शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

यही हाल उच्च शिक्षा में भी है। उच्च शिक्षा में लगभग प्रोफेसर के पद 35%, एसोसिएट प्रोफेसर के पद 46% और सहायक प्रोफेसर के पद 26% पद रिक्त हैं। नई शिक्षा नीति के हिसाब से पहले रिक्त पदों को भरना होगा फिर उनको प्रशिक्षित करने के लिए नए मानदण्ड तय करने होंगे।

कई वर्ष पुरानी शिक्षा पद्धति के कारण एक ही ढर्रे में ढल चुके शिक्षकों की मानसिकता में परिवर्तन लाना बहुत कठिन चुनौती होगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग को पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि शिक्षकों को इस नीति को समझने और फिर उसे अमल में लाने के लिए उन्हें खुद आवश्यक ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। नई शिक्षा नीति में वर्ष 2022 तक क्लास रूम में स्किल आधारित लर्निंग लागू करने की बात की गई है जो एक कठिन चुनौती है।

2. **निजी स्कूल में प्रतिस्पर्धा की होड** –

नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि पहली से दसवीं क्लास तक के छात्र/छात्राओं के स्कूली बस्ते का भार उनके शारीरिक वजन के कुल भार के 10% से अधिक नहीं होगा। यह सरकार का अच्छा निर्णय है। परन्तु निजी स्कूल में प्रतिस्पर्धा व दिखाने की होड़ रहती है जिसके कारण बच्चों को ज्यादा होमवर्क देना, अतिरिक्त विषय पढ़ाने का बोझ बच्चों पर जबरन डालना जिसके कारण बस्ते का वजन ज्यादा होना एक कठिन चुनौती होगी।

सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव –

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

प्राइवेट स्कूल तो प्रतिस्पर्धा के चलते अपने स्कूलों में बच्चों को अनेक तरह की सुविधाएँ प्रदान करते हैं लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल आज भी बहुत बुरा है। देश के बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल कालेज हैं जहाँ पर शिक्षकों व छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

देश के स्कूलों, महाविद्यालयों, इण्टर कालेजों एवं कई विश्वविद्यालयों के यह हाल हैं जहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय, बैठने के लिए फर्नीचर, पुस्तकालय, साइंस प्रैक्टिकल लैब व कम्प्यूटर लैब आदि भी नहीं है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढाँचा भी बहुत खराब स्थिति में हैं। इन सबको सुविधा सम्पन्न बनाना, यह एक कठिन चुनौती है।

स्नातक स्तर की पढ़ाई की अवधि 4 वर्ष कर दी गई है। विद्यार्थियों को विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है परन्तु इसके लिए कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा और संसाधन भी बढ़ाने पड़ेंगे।

नई शिक्षा नीति में जिन स्कूलों में कम बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों का अन्य स्कूलों में विलय करने की बात कही गई है। दुर्गम क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले बच्चों का काफी नुकसान होगा। विशेषकर महिलाओं और बच्चियों का और यह भी हो सकता है कि उनकी पढ़ाई भी छूट जाए।

<u>आँगनबाड़ी में करना होगा अहम बदलाव</u> –

नई शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शुरूआती पढ़ाई आँगनबाड़ी या बाल वाटिका के माध्यम से कराई जायेगी जो कि खेलकूद गतिविधियों पर आधारित होगी। आँगनबाड़ी में इस तरह की सुविधाएँ कम होती है इसलिए नये प्रशिक्षण केन्द्र बनाने पड़ेंगे और आँगनबाड़ियों में और सुविधाएँ उपलब्ध कराना होगा।

नई शिक्षा नीति में कक्षा 7 में व्यावसायिक ज्ञान को भी शामिल किया गया है। इसके लिए स्कूलों को अतिरिक्त समय तथा साधनों की आवश्यकता होगी तथा अनुभवी क्रियात्मक तथा व्यावसायिक ज्ञान की जानकारी रखने वाले शिक्षकों की आवश्यकता होगी। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी चुनौती भरा काम होगा।

नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान और ऑनलाइन एजूकेशन देने की बात भी कही गई है लेकिन इस प्रकार के साधन न होने व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के यह चुनौती ही होगी। यदि उन्हें सरकार या अन्य संस्था इन संसाधनों को जैसे : स्मार्ट फोन, लैपटाप, टैबलेट, इण्टरनेट कनेक्शन, वाईफाई की सुविधा नहीं मिलती। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्टरनेट की सुविधा आज भी अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं है इसके अतिरिक्त आनलाइन शिक्षा देने वाले कई शिक्षकों के पास भी ये सुविधाएँ नहीं हैं और ई–शिक्षा प्रणाली से शिक्षण कार्य करना यह एक चुनौती शिक्षकों के भी समक्ष है।

उच्च शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना भी चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जवाबदेही तय करनी होगी और उनके अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित व्यवस्था बनानी होगी। दुनिया के कई देशों की तरह ही हमारे देश के विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को शीर्ष विश्व रैंकिंग में जगह मिलती है।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

मातृभाषा में शिक्षण कार्य भी चुनौतीपूर्ण होगा –

नई शिक्षा नीत में त्रिभाषा की बात कही गई है। जिसमें विद्यार्थी पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा में अध्ययन कर सकेंगे। प्रश्न यह है कि ये बच्चे छठी क्लास के बाद अंग्रेजी माध्यम से कैसे पढ़ पाएंगे और यदि आगे की पढ़ाई मातृभाषा में करना चाहें तो इतनी बड़ी संख्या में मातृभाषा के शिक्षक और मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री उपलब्ध कराना कठिन कार्य है।

वर्तमान में जो शिक्षक है उन्होंने अपनी पढ़ाई मातृभाषा से नहीं की है। देश में कितने शिक्षक होंगे जो अपनी मातृभाषा से बच्चों को पढ़ाई करवा सकते हैं।

भारत के बड़े शहरों जैसे – नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई आदि में तो देश के अलग–अलग प्रांतों से आकर लोग बसे हैं, ऐसे बच्चे कौन सी भाषा (मातृभाषा/स्थानीय) में पढ़ाई करेंगे। उससे भी बड़ी समस्या क्या अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाने पर सहमत होंगे। बहुत से ऐसे बच्चे जिनके माँ–बाप केन्द्र सरकार की सेवाओं से जुड़े हैं। यदि इन बच्चों के माँ–बाप का ट्रांसफर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो जाता है तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप केन्द्र सरकार की सेवाओं से जुड़े हैं। यदि इन बच्चों के माँ–बाप का ट्रांसफर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो जाता है तो ऐसे बच्चे कौन सी मातृभाषा सीखेंगे। क्या मातृभाषा में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के बराबर ही सरकारी नौकरी या रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। आज भी अधिकतर परीक्षाएँ अंग्रेजी माध्यम से ही करायी जाती हैं और कुछ परीक्षाओं में तो अंग्रेजी अनिवार्य मानी जाती है।

क्या संसद, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी ऑफिस व सम्बन्धित विभागों में हिन्दी या मातृभाषा में ही कार्य किया जाएगा। यह भी एक यक्ष प्रश्न है। यह स्कूलों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। यह स्कूलों पर निर्भर करता है कि वह इसको लागू करेंगे या नहीं।

स्थानीय भाषा को कितने लोग समझ सकते हैं। देश दुनिया की तो छोड़िये भारत के एक प्रांत की भाषा दूसरे प्रांत के लोग कम ही समझते हैं। ऐसे में लोग अपने प्रांत से भी बाहर जाएंगे तो कैसे अपना कार्य करेंगे।

अकादमिक क्रेडिट बैंक स्थापित करना होगा – देश के विश्वविद्यालयों में अकादमिक क्रेडिट बैंक स्थापित करना आवश्यक होगा, जिससे कोई विद्यार्थी एक संस्थान से दूसरे संस्था में स्थानान्तरित होगा, तो उसके पूर्व के अर्जित क्रेडिट अंक आगे जोड़े जा सकें।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : (चुनौती पूर्ण)

- उच्च शिक्षा में ''मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम'' किया गया है। छात्रों को एक वर्ष में सर्टिफिकेट और दो वर्ष में डिप्लोमा दिया जायेगा। नौकरी या अन्य जगहों पर इनकी उपयोगिता भी निश्चित करनी होगी।
- नई शिक्षा नीति में सरकार शिक्षा में G.D.P. का 6% खर्च करने की बात कह रही है अभी यह G.D.P. का सिर्फ 3% है और सकल पंजीकरण दर 26.3% से बढ़ाकर 50% करने की बात भी कह रही है लेकिन यह कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है।

- सरकार SC, ST, OBC ग्रुप के बच्चों को अधिक से अधिक स्कॉलरशिप देने की बात कह रही है जो एक अच्छी बात है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण बच्चों का इस नीति में कोई बात नहीं कही गई है।
- नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों के नियम एक समान होंगे। लेकिन शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है इसलिए केन्द्र एवं राज्य दोनों अलग–अलग कानून बनाकर कार्य करते हैं।
- भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा में नौकरी के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया अलग–अलग तरह से होती है। ऐसे में सबको एक छतरी के नीचे लाकर कार्य करना भी चुनौतीपूर्ण होगा।
- नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था मँहगी होने की सम्भावना है। परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े व निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होगा।
- विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष, योग्य शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं।
- दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि–भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

निष्कर्ष – इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की नवीन शिक्षा नीति–2020 को बहुत विचार विमर्श के बाद बनाया गया है। इस नीति में शिक्षा के क्षेत्र में किये गये बदलाव सराहनीय भी हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति को लागू करने में सरकार को शुरूआती मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इसके लिए बुनियादी अवसंरचना को बहुत अधिक मजबूत करने होगा जिसके लिए बहुत अधिक मात्रा में वित्त की व्यवस्था को सरकार को उपलब्ध करना पड़ेगा, इसके साथ ही मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होगी।

देश की नवीन शिक्षा नीति के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए न केवल केन्द्र व राज्य सरकारें बल्कि इसमें देश के शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों, आमनागरिकों, विषय विशेषज्ञों, सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर मिलकर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यह सब अभी भविष्य के गर्भ में है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शिक्षा के मूल तत्व – डॉ0 अतुल किशोर शाही
2. शिक्षानीति : 2020 – डॉ0 सुधांशु कुमार पाण्डेय
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – पंकज अरोड़ा : ऊषा शर्मा
4. शैक्षिक प्रकाशन एवं प्रबन्धन – डॉ0 गजेन्द्र सिंह तोमर
5. भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ – डॉ0 रामशकल पाण्डेय एवं डॉ0 करुणाशंकर मिश्र

6. शिक्षा क्या है? – जे0 कृष्णमूर्ति
7. भारत में शिक्षानीति की दशा एवं दिशा – डॉ0 मनीष खरे
8. शिक्षा का लक्ष्य – अनातोली लुनाचार्स्की
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
10. नई शिक्षा नीति – डॉ0 रामशकल पाण्डेय